गोरखनाथ (भा0प्र0से0)
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

बिहार सरकार

आयुक्त कार्यालय,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया
फोन नं0- 06454-243199 (O)
241899 (F)
ईमेल आई0डी0-divcom-purnea-bih@nic.in

श्री विद्यानंद गार्ड फाइल में संधारित करें कृपया। 25/07/2022

पत्रांक– 164 / गो0 दिनांक– 21/07/2022

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक,

पूर्णियॉ प्रक्षेत्र, पूर्णिया।

विषयः– श्री उदयन मिश्रा, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा दिनांक–07.07.2022 को मुफ्फसिल थाना, कटिहार का किये गये निरीक्षण टिप्पणी के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री मिश्रा, जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा दिनांक–07.07.2022 को मुफ्फसिल थाना, कटिहार का निरीक्षण किया गया। उनका निरीक्षण टिप्पणी उनके ज्ञापांक–1395/सामान्य, दिनांक–18.07.2022 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ है। उन्होंने उक्त निरीक्षण टिप्पणी में तीन ऐसे बिन्दुओं को वर्णित किया है जिसके संबंध में सम्यक कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है। उनके द्वारा तीनों बिन्दु निम्नांकित हैः–

(i) मुफ्फसिल थाना, कटिहार के निरीक्षण हेतु पूर्व से तिथि निर्धारित गयी थी और उसकी सूचना थानाध्यक्ष का भी दी गयी थी परंतु उन्होंने जिला पदाधिकारी के आगमन पर सलामी की कोई व्यवस्था नहीं की और न ही उनके प्रति सम्मान प्रकट किया। जिसका उल्लेख उन्होंने टिप्पणी कंडिका 2 में किये है। थानाध्यक्ष, मुफ्फसिल का यह कार्य पुलिस हस्तक नियम में निर्धारित प्रावधानों के प्रतिकूल है।

(ii) निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि महिला हाजत का प्रयोग जब्त किये गये सामानों को रखने हेतु मालखाना के रूप में किया जाता है। ऐसी स्थिति में महिला अभियुक्त की गिरफ्तारी उपरांत महिला हाजत में रखने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। जिससे यह प्रतिवेदित है कि संबंधित थानाध्यक्ष महिला के सम्मान एवं सुरक्षा के प्रति संवेदनशील नहीं है।

(iii) उनके निरीक्षण टिप्पणी कंडिका 15 में यह प्रतिवेदित है कि निलाम पत्र वाद के मामलों में वसूली हेतु बी0डब्लू0/डी0डब्लू0 थाना में लम्बे समय से लंबित है परंतु उनके क्रियान्वयन हेतु किसी प्रकार की सम्यक कारवाई नहीं की जा रही है। जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि वे अपने कार्यो का निर्वहन सरकार के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं कर रहे हैं ।

2. उपर्युक्त तीनों बिन्दुओं के अतिरिक्त विभिन्न कंडिका में वर्णित तथ्यों के संबंध में सम्यक कार्रवाई अपेक्षित है इस हेतु उक्त निरीक्षण टिप्पणी आपकों भी प्रेषित की गयी है। उपर्युक्त निर्धारित वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि मुफ्फसिल थाना, कटिहार द्वारा थाना के कार्य बिहार संचालन पुलिस हस्तक नियमावली में वर्णित प्रावधानों एवं समय समय पर सरकार के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है।

3.अतः अनुरोध है कि संबंधित थानाध्यक्ष को उक्त थाना से हटाकर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कारवाई की जाय।

विश्वासभाजन,
21/7/22
आयुक्त
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।

गोरखनाथ (भा0प्र0से0)
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

बिहार सरकार

आयुक्त कार्यालय,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया
फोन नं0- 06454-243199 (O)
241899 (F)
ईमेल आई0डी0-divcom-purnea-bih@nic.in

पत्रांक–   दिनांक–

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक,

पूर्णियॉ प्रक्षेत्र, पूर्णिया।

विषयः– श्री उदयन मिश्रा, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा दिनांक–07.07.2022 को मुफ्फसिल थाना, कटिहार का किये गये निरीक्षण टिप्पणी के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री मिश्रा, जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा दिनांक–07.07.2022 को मुफ्फसिल थाना, कटिहार का निरीक्षण किया गया। उनका निरीक्षण टिप्पणी उनके ज्ञापांक–1395/सामान्य, दिनांक–18.07.2022 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ है। उन्होंने उक्त निरीक्षण टिप्पणी में तीन ऐसे बिन्दुओं को वर्णित किया है जिसके संबंध में सम्यक कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है। उनके द्वारा तीनों बिन्दु निम्नांकित हैः–

(i) मुफ्फसिल थाना, कटिहार के निरीक्षण हेतु पूर्व से तिथि निर्धारित गयी थी और उसकी सूचना थानाध्यक्ष का भी दी गयी थी परंतु उन्होंने जिला पदाधिकारी के आगमन पर सलामी की कोई व्यवस्था नहीं की और न ही उनके प्रति सम्मान प्रकट किया। जिसका उल्लेख उन्होंने टिप्पणी कंडिका 2 में किये है। थानाध्यक्ष, मुफ्फसिल का यह कार्य पुलिस हस्तक नियम में निर्धारित प्रावधानों के प्रतिकूल है।

(ii) निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि महिला हाजत का प्रयोग जब्त किये गये सामानों को रखने हेतु मालखाना के रूप में किया जाता है। ऐसी स्थिति में महिला अभियुक्त की गिरफ्तारी उपरांत महिला हाजत में रखने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। जिससे यह प्रतिवेदित है कि संबंधित थानाध्यक्ष महिला के सम्मान एवं सुरक्षा के प्रति संवेदनशील नहीं है।

(iii) उनके निरीक्षण टिप्पणी कंडिका 15 में यह प्रतिवेदित है कि निलाम पत्र वाद के मामलों में वसूली हेतु बी0डब्लू0/डी0डब्लू0 थाना में लम्बे समय से लंबित है परंतु उनके क्रियान्वयन हेतु किसी प्रकार की सम्यक कारवाई नहीं की जा रही है। जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि वे अपने कार्यो का निर्वहन सरकार के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं कर रहे हैं ।

2. उपर्युक्त तीनों बिन्दुओं के अतिरिक्त विभिन्न कंडिका में वर्णित तथ्यों के संबंध में सम्यक कार्रवाई अपेक्षित है इस हेतु उक्त निरीक्षण टिप्पणी आपकों भी प्रेषित की गयी है। उपर्युक्त निर्धारित वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि मुफ्फसिल थाना, कटिहार द्वारा थाना के कार्य बिहार संचालन पुलिस हस्तक नियमावली में वर्णित प्रावधानों एवं समय समय पर सरकार के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है।

3.अतः अनुरोध है कि संबंधित थानाध्यक्ष को उक्त थाना से हटाकर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कारवाई की जाय।

विश्वासभाजन,
(हस्ताक्षर)
आयुक्त
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।

ज्ञापांक–164/गो0   दिनांक–21/07/2022

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 21/7/22
आयुक्त
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।